फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : समस्तग्रामवासी **विपक्षी : श्री चेनशंकर**

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9 **पत्रावली संख्या : 90/24**

जीसीएमएस : 2024/345

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 07.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 166/06 वाद का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 26.09.2023 को वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया था। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.08.2024 को मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी /अपीलाण्ट का हित निहीत होने से अपीलाण्ट को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी का यह कहना की प्रार्थी द्वारा 6 माह बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये खारिज किया जावे,चूंकि यह तकनीकी बिन्दू है एवं केवल इसी बिन्दू को आधार मानते हुए यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थी के साथ न्याय नही होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रिश्तेदारी में मौत होने का कथन किया है। मामला कृषि भूमि में हक अधिकारों का है पूर्व में प्रकरण में कृषि भूमि के हक अधिकारों को तय नहीं किया गया। प्रकरण केवल मात्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया हैं। प्रकरण को साक्ष्य सबूत के आधार पर कृषि भूमि में हक अधिकारों को तय कर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है तथा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का खारिज योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 1000/– एक हजार रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 166/06 वाद तेजा (समस्तग्रामवासी) बनाम चेनशंकर में आदेश दिनांक 26.09.2023 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 14.02.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.01.31 12:48:46 IST Reason: SelfAttested	